

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/178 बअनवान गैरी वगैरा बनाम कानाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुये

01 ¹⁰/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री भैराराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता श्री भरत चौधरी उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-2079 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम मौखमपुरा के खसरा नंबर 234, 240/3, 241, 243, 248 कुल खसरा-05 कुल रकबा 1.47 हैक्टर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के सयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसके विभाजन का वाद पेश किया हुआ है। अतः प्रकरण में वर्णित भूमि को लेकर दोनो पक्षों में कोई विवाद न हो, इस हेतु उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम मौखमपुरा के खसरा नंबर 234, 240/3, 241, 243, 248 कुल खसरा-05 कुल रकबा 1.47 हैक्टर में अपने हिस्सानुसार मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। दोनों पक्ष एक-दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
सहायक क्लर्क एवं पदेनी
उपखण्ड अधिकारी, बाली